

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/36

दिनांक:- 11/4/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड झालावाड, उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय के अधीन मण्डल की आवासीय योजना, जेल रोड, झालावाड में सरप्लस अनिस्तारीत विभिन्न आय वर्ग के 10 एवं मध्यम आय वर्ग के 13 स्वतंत्र आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	श्रेणी	आवास संख्या	कुल
1.	अल्प आय वर्ग	2-बी-1, 2-बी-3, 2-बी-6, 2-बी-7, 2-बी-8, 2-बी-9, 2-बी-10, 2-बी-11, 2-सी-1, एवं 2-सी-3	10
2.	माध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-1, 2-ए-2, 2-ए-3, 2-ए-4, 2-ए-5, 2-ए-6, 2-ए-11, 2-ए-12, 2-ए-14, 2-ए-15, 2-ए-16, 2-ए-18, 2-ए-19	13
		TOTAL	23

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा की गई अनुशंषा एवं मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्न शर्तों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।

4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
 5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।
- उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का पैरा संख्या 19/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

हो

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0, वृत्त-कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-झालावाड, रा0 आ0म0, झालावाड।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

हो

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

01/04/22 10/04/22